APP-A
Crim-1

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

गौरीशंकर बनाम सत्यनारायण

किस्म मुकदमा 88, 89 नं. 181 सन् 09

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/9/25	पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र वास्ते बनाये जाने कायम मुकाम व अबेटमेंट निरस्त करने हेतु पेश हुई। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते बनाये जाने कायम मुकाम व अबेटमेंट निरस्त करने हेतु पेश कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी के वकील साहब द्वारा जानकारी देने पर ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी नं. 10 की मृत्यु दिनांक 09.01.2007 को हो गयी है। प्रतिवादी नं0 10 की मृत्यु की जानकारी दिनांक 08.11.2012 को प्रतिवादी द्वार पेश प्रार्थना पत्र की नकल प्राप्त करने पर हुई इससे पूर्व प्रतिवादी नं0 10 की मृत्यु की जानकारी नही थी। यहां तक कि प्रतिवादी नं0 10 के वकील लगातार वाद में उपस्थित हो रहे थे तथा दिनांक 10.05.2012 को वादी से जिरह भी की थी जिससे तारीख जानकारी से यह प्रार्थना पत्र अवधि मध्य प्रस्तुत किया जा रहा है वाद विषय उक्त कायम मुकामान पर सरवाईव करते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त कायम मुकामान को रेकॉर्ड पर लेते हुये अबेटमेंट निरस्त फरमाया जावे। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट भी प्रस्तुत कर दिनांक 09.01.2007 से दिनांक 08.11.2012 से पूर्व की अवधि कंडोन फरमाने का निवेदन किया है। उभयपक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते बनाये जाने कायम मुकाम व अबेटमेंट निरस्त करने हेतु पर बहस सुनी गई। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते बनाये जाने कायम मुकाम व अबेटमेंट निरस्त करने हेतु स्वीकार फरमाते हुये प्रतिवादी नं0 10 के कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लेने का निवेदन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी नं0 10 की मृत्यु 09.01.2007 को हो गई थी एवं वादी की ओर से कायम मुकामान बनाये जाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.11.2012 को पेश किया है। वादी द्वारा अबेटमेंट का ना तो प्रार्थना पत्र दिया है और ना ही आज तक अबेटमेंट सेटआईड करने का निवेदन किया है अतः वादी का वाद पत्र अबेट किया जावे। बाद बहस पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रति0 नं. 10 की मृत्यु हो जाने के संबंध में दिनांक 23.07.2012 को पेश किया गया जिसकी प्रति वादी द्वारा दिनांक 08.11.2012 को प्राप्त की गई। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते बनाये जाने कायम मुकाम व अबेटमेंट निरस्त करने हेतु एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 में किये गये तर्क सद्भाविक प्रतीत होते है। वादी की ओर से विलम्ब की अवधि को कंडोन करने एवं अबेटमेंट निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र वास्ते बनाये जाने कायम मुकाम व अबेटमेंट निरस्त करने हेतु स्वीकार कर प्रतिवादी नं0 10 के कायम मुकामान रिकॉर्ड पर लिये जाते है। पत्रावली संशोधित टाईटल वास्ते दिनांक 23/9/25 को पेश हो।	